# हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2012

## भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के शिमला मण्डल–II के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2012 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 श्रीमती अंजौरी कपूर अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–II, के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2012 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

| क्रम संख्या | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | (₹) लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना | 4 | ₹14.16 |
| 2 | स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन न करना | 4.1 | ₹0.42 |
| 3 | विभिन्न आवासीय परिसरों से रख–रखाव शुल्क की वसूली न करना। | 4.2 | ₹19.81 |
| 4 | विभिन्न आवासीय परिसरों से जल प्रभार शुल्क की वसूली न करना। | 4.2 | ₹9.21 |
| 5 | वाणिज्यिक संस्थाओं में जल–प्रभार घरेलू दर से लगाने के फलस्वरूप हानि | 4.4 | ₹0.16 |
| 6 | रख–रखाव प्रभार की कम प्राप्ति | 4.5 | ₹0.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | निक्षेप निर्माण कार्य (डिपोजिट वर्क्स) के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2012 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली न करना। | 5 | ₹107.40 |
| 8 | सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना | 6 | ₹16.94 |
| 9 | PSFS छबरोटी, कसुम्पटी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान। | 7 | ₹4.06 |
| 10 | कंसट्रक्सन आफ पुलिस बिल्डिंग, सोलन हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान | 8 | ₹1.80 |
| 11 | PSFS छबरोटी, शिमला–9 ग्रुप–4 के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान। | 9 | ₹1.61 |
| 12 | कंसट्रक्सन आफ पुलिस बिल्डिंग अन्डर मार्डनाईजेशन स्कीम, सोलन के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान | 10 | ₹1.37 |
| 13 | C/O हाऊसिंग कलोनी एटबसाल सोलन संविदाकार को अधिक भुगतान | 11 | ₹0.48 |
| 14 | कन्ट्रेक्टर लैजर में राशि का लेखाकंन न करना | 11 (A) | ₹1.95 |
| 15 | C/O स्टेट डाटा सैन्टर बिल्डिंग के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान | 12 | ₹0.24 |
| 16 | यात्रा भत्ता दावे का अनियमित भुगतान | 14 | ₹0.39 |
| 17 | अनियमित भुगतान | 15 | ₹0.03 |
| 18 | अनुचित भुगतान | 16 | ₹0.09 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है। वर्ष 04/88 से 03/11 तक मण्डल से सम्बन्धित 133 पैरे शेष है जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :–

| क्रम संख्या | वर्ष | शेष पैरों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996–97 | 1 | |
| 2 | 2003–04 | 4 | |
| 3 | 2004–05 | 3 | |
| 4 | 2005–06 | 18 | आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे |
| 5 | 2006–07 | 14 | |
| 6 | 2007–08 | 12 | |
| 7 | 2008–09 | 13 | |
| 8 | 2009–10 | 11 | |
| | 2010–11 | 18 | |
| 9 | 1988–89 | 2 | नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे |
| 10 | 1989–90 | 1 | |
| 11 | 1990–91 | 2 | |
| 12 | 1991–92 | 1 | |
| 13 | 1992–93 | 1 | |
| 14 | 1993–94 | 2 | |
| 15 | 1994–95 | 4 | |
| 16 | 1995–96 | 11 | |
| 17 | 1996–97 | 3 | |
| 18 | 1997–98 | 6 | |
| 19 | 01.04.99 से 15.01.2001 | 6 | |
| | कुल पैरे | 133 | |

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

## भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :—**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला के निर्माण मण्डल—2 शिमला के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2012 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री सुनील आंगरा, उप निदेशक के पर्यवेक्षण में श्री अनिल शर्मा, श्री अनिल मेहरा अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.8.2012 से 18.10.2012 तक कसुम्पटी, शिमला में किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 03/2012 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

यह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मण्डल—2 के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अन्य अनियमितताओं के लिए उतरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :—**

वर्ष 2011—2012 तक के लेखों के अंकेक्षण शुल्क की राशि के बारे में आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को पृथक से अनुरोध किया जाएगा।

4 **विविध अग्रिम की ₹1416194 का समायोजन न करना :—**

₹14,16,194/—की राशि दिनांक 31.03.12 को विविध अग्रिमों के रूप में विभिन्न संस्थाओं, फर्मों, व्यापारियों इत्यादि से समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण परिशिष्ट "क—1" पर संलग्न है। सम्बन्धित अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

.1 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल—2 के अधीन कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम दिनांक 31.03.12 को ₹42928/—की राशि स्टाफ अग्रिम के रूप में वसूली हेतु शेष थी। इन स्टाफ अग्रिमों का समय पर वसूली/समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनकी वसूली/समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ख) पर सलंग्न है।



355
41383

4.2 राशि ₹2903291/– का जल प्रभार व रख–रखाव प्रभार के रूप में 31.03.12 तक वसूली हेतु शेष :–

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के मकानों/प्लाटों के रख–रखाव रजिस्टर व जल प्रभार रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.12 तक निम्नलिखित मकान/प्लाट मालिकों से रख–रखाव प्रभार के और जल प्रभार की राशि ₹2903291/–की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावी कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

| क्रम संख्या | आवास बस्ती का नाम | रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.12 को शेष वसूली | जल प्रभार की दिनांक 31.03.12 को शेष वसूली |
|---|---|---|---|
| 1 | शोधी | 631234.00 | 416158.00 |
| 2 | बी0सी0एस0 | 714761.00 | 496160.00 |
| 3 | सोलन फेस–I | 33,302.00 | |
| 4 | सोलन फेस–II | 381340.00 | 1918.00 |
| 5 | बसाल | 105634.00 | 7198.00 |
| 6 | कण्डाघाट | 115586.00 | – |
| | | 1981857.00 | 921434.00 |

.3 ₹27199/– की स्टॉफ अग्रिम राशि का समय पर समायोजन न करवाने के फलस्वरूप दुरूपयोग की सम्भावना:–

हिमुडा मण्डल–II शिमला के वर्ष 2010–11 व 2011–12 का अवलोकन करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्टाफ अग्रिम राशि प्रदान की गई थी परन्तु निम्न वर्णित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम राशि का लम्बे समय से समायोजन नहीं करवाया गया था जिसके फलस्वरूप यह राशि दिनांक 31.3.2012 तक कर्मचारियों के पास पड़ी थी लम्बी अवधि से कर्मचारियों द्वारा अग्रिम राशि को अपने पास रखने

के कारण इसके दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। नियमानुसार अग्रिम राशि तभी प्रदान की जानी चाहिए जब होने वाले व्यय की नितान्त आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के अग्रिम प्रदान करना तथा इसका समय पर समायोजन न करवाना अनुचित ही नहीं बल्कि अनियमित भी है। मण्डल द्वारा कोई सहायक/संकलित अभिलेख भी तैयार नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका इस प्रकार की अग्रिम राशियां विभिन्न कर्मचारियों के पास कब से समायोजन हेतु लम्बित पड़ी थी। अतः विभिन्न कर्मचारियों को प्रदान की जा रही अग्रिम राशियों का स्वतः स्पष्ट सहायक/संकलित अभिलेख तैयार किया जाए। इसके साथ ही निम्न कर्मचारियों के पास लम्बी अवधि से पड़ी शेष राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:—

**रख—रखाव प्रभार बकाया राशि का विवरण**

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम (सर्व श्री) | दिनांक 31.03.12 तक समायोजन हेतु शेष पड़ी राशि (₹) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | सुन्दर सिंह ,चालक | 14975.00 | माह 4/10 से भी पूर्व से समायोजन हेतु लम्बित |
| 2 | सुनील कुमार, चालक | 5000.00 | —यथोपरि— |
| 3 | राजेश ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता | 196.00 | —यथोपरि— |
| 4 | रजिन्द्र पाल सिंह, चालक | 694.00 | माह 5/10 से समायोजन हेतु लम्बित |
| 5 | बी0आर0 रघुवंशी, कनिष्ठ अभियन्ता | 6334 | माह 1/11 से समायोजन हेतु लम्बित |
| | कुल योग | 27199 | |

355

वाणिज्यिक संस्थानों में जल प्रभार घरेलू दर से लगाने के फलस्वरूप ₹16401/—की हानि:—

हिमुडा मण्डल—II जल प्रभार प्राप्ति एवम बिल रजिस्टरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा द्वारा फेस—III सेक्टर 5 व 6 में पानी/जल की आपूर्ति की जा रही है जिसके लिए मण्डल द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से ₹17.50 प्रति 1000 लीटर व वाणिज्यक उपभोक्ताओं से ₹34/—प्रति 1000 लीटर की दर से जल प्रभार की वसूली की गई है परन्तु हाल नं0 1 जो मै0 अग्रवाल के नाम से वाणिज्यक गतिविधियों हेतु आबंटन किया गया था तथा सम्बन्धित बिल कलर्क द्वारा चर्चा में बताया कि उक्त भवन/क्षेत्र का उपयोग भी वास्तविक रूप से वर्तमान में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये ही किया जा रहा है परन्तु उक्त भवन मालिक/उपभोक्ता से घरेलू दरों से पानी/जल प्रभार की वसूली की गई थी। अतः वर्ष 2004 से 31.03.2012 तक उक्त उपभोक्ता द्वारा 994000 लीटर पानी उपयोग में लाया है जिसके लिये घरेलू दर अर्थात ₹17.50/—प्रति 1000 लीटर की दर से जल प्रभार की बिलिंग की गई है जबकि उपभोक्ता से ₹34/— प्रति 1000 लीटर की दर से बिलिंग की जानी वांछित थी इस प्रकार ₹34—17.50=₹16.50/—प्रति 1000 लीटर कम प्राप्त किये गये है अर्थात दिनांक 29.2.2007 से 31.3.2012 तक 994000 लीटरx16.50/1000 कुल ₹16401/—की कम बिलिंग की गई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये या कम प्राप्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे मामले जिनकी स्थापना वाणिज्यक गतिविधियों हेतु की गई है में जल प्रभार की वसूली वाणिज्यिक दरो पर की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) जल प्रभार की दरें जो हिमुडा मण्डल—II द्वारा निर्धारित की गई है। अथवा जिन दरों पर वर्तमान में जल प्रभार की विलिंग की जा रही है। अंकेक्षण में प्रमाण के रूप में उपलब्ध नहीं करवाये गए है जिससे कि जल प्रभार के रूप में प्राप्त/वसूल की जा रही राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः जल प्रभार दरों से सम्बन्धित आदेशों की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

## 4.5 ₹7462 की रख–रखाव प्रभार के रूप में कम प्राप्ति:–

हिमुडा मण्डल–II, के रख रखाव प्रभार के अभिलेख की जॉच पड़ताल में पाया कि श्रीमती उर्मिला मखैक, जिन्हें स्कूल साईट का आबंटन किया गया था उन द्वारा वर्ष/अवधि 30.9.2009 से 31.3.2012 तक का रख–रखाव प्रभार ₹113305/–रसीद संख्या 0040718 दिनांक 19.4.2012 के अन्तर्गत अदा किया गया था। उक्त आबंटी के खाते की विस्तृत जॉच में पाया कि अवधि 30.9.2011 तक शेष राशि पर दण्ड ब्याज 14% की दर से ठीक लगाया गया था तथा दिनांक 01.10.2011 से 31.3.2012 तक के शेष ₹106600/–पर कोई भी दण्ड ब्याज नहीं लगाया गया था। अतः इस प्रकार ₹106600/–की राशि पर 14% की दर से अवधि 01.10.2011 से 31.3.2012 तक के लिये ब्याज ₹7462/–बनता है। जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

## 5 निक्षेप निर्माण कार्य (डिपोजिट वर्क्स) के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2012 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई ₹10740809 की वसूली न करना :–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निक्षेप कार्यो (डिपोजिट वर्क्स) हेतु प्राप्त राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय की गई जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट (ग) पर दिया गया है। सी0पी0डब्लयू0डी0 कोड के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। प्राप्ति से अधिक व्यय की ₹10740809/–की राशि की वसूली न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए, एवं निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय की गई राशि की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाये, अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।



413855

6 **₹1694440/—के सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना:—**

हिमुडा निर्माण मण्डल—2, शिमला के विभिन्न निर्माण बिलों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011—12 के दौरान विभिन्न संविदाकारों को Secured Advance प्रदान किये गये थे को लम्बी अवधि तक समायोजित नहीं किया गया था। इस तथ्य से यह आभास होता है कि हिमुडा निर्माण मण्डल—2 शिमला द्वारा Secured Advance का प्रयोग संविदाकारों को अनुचित लाभ देने के लिये किया गया। अतः असमायोजित सुरक्षित अग्रिमों को शीघ्र समायोजित किया जाये अन्यथा सी0पी0डबलयू0डी0 Account Code के पैरा संख्या 226 और 228 (ए) के नियम 7 के अनुसार कार्यवाही की जाये। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाये। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट (घ) में दर्शाया गया है।

7 **वाऊचर संख्याः 104, दिनांक 2531.3.2012 ₹4010828/— :—**

| | |
|---|---|
| निर्माण कार्य | DSFS at (Chhabrogti) Kasumpti, Shimla-09 18 Nos. Cat III Flats (Block No. 6, 7, 19) Group-III |
| संविदाकार का नाम | श्री गरीष गुप्ता |
| चलित बिल सं0 | 17th |
| अनुबन्ध संख्या | 11 आफ 2007—08 |

**(1) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹3,45,675/—का अधिक भुगतान :—**

अनुबन्ध की मद संख्याः 12 (ई), प्रावाईडिंग एवं लेईंग सी0सी0एम0—20 के करवाए गए 1495.99 घन मी0 कार्य हेतु ₹3300/—प्रति घन मी0 की दर से ₹4936767/—का भुगतान संविदाकार को किया गया। किए गए भुगतान में 425.26 घन मी0 की मात्रा भी सम्मिलित थी, जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियों की जॉच करने पर पाया गया कि कर्व ऑन ब्लॉक सं0 17 पर लगाई गई सी0सी0एम0—20 की रिटेनिंग वाल की माप पुस्तिका सं0 758 व 784 पर करवाए गए रिटेनिंग वाल का कार्य किए गए कटिंग इन अर्थ वर्क और फार्म वर्क के साथ मेल नहीं करता था। रिटेनिंग वाल के लिए किए गए कार्य की कोई भी अनुमोदित ड्राइंग, क्रास सैक्शन, अनुमोदित अनुमान अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2012 दिनांक 16.10.2012 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वान्छित

अभिलेख को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे किए गए कार्य की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। किए गए कटिंग इन अर्थ वर्क और फार्म वर्क के कार्य को ध्यान में रखते हुये सी0सी0 एम–20 की अत्यधिक गणना कर ली गई प्रतीत होती है, जिसका विवरण निम्न वर्णित है जिसके अनुसार 104.75 घन मी0 सी0सी0एम–20 की मात्रा का भुगतान संविदाकार को अधिक कर दिया गया। किए गए कार्य की पुष्टि कर्व ऑन ब्लॉक संख्या 17 पर लगाई गई सी0सी0 एम–20 की रिटेनिंग वाल के अनुमोदित ड्रांइग, क्रास सैक्शन, वर्किंग अनुमोदित अनुमान इत्यादि से करके सूचित किया जाए। अन्यथा 104.75 घन मी0 की अधिक की गई मात्रा की ₹3300/–प्रति घन मी0 की दर से ₹345675/–की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। विस्तृत विवरा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:–

**Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O**
**PSFS at (Chhabrogti) Kasumpati, Shimla-09 18 nos, Cat-IIIFlats (Block No. 6, 7, 19) Group III**

| Record MB/P. No. | Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement Item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contractor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Block No. 17, curve | | | | |
| 58/67 | 7th Flight | | | | |
| | FS | 1x5.75x1.30=7.47$m^2$ | 1x5.75(2.95+3.60/2x1.30 =24.48 $m^3$) | 1x5.75(1.45+3.00/2x1.30=16.63 $m^3$) | 7.85 $m^3$ ✓ |
| | LS | 1x1.45x1.30=1.88$m^2$ | | | |
| | RS | 1x3.00x1.30=3.90$m^2$ | | | |
| -do- | 8th Flight | | | | |
| | FS | 1x5.75x1.30=7.47$m^2$ | 1x5.75(4.60+3.30/2x1.30 =24.53 $m^3$) | 1x5.75(1.60+3.30/2x1.30=18.31 $m^3$) | 11.22 $m^3$ ? |
| | LS | 1x1.60x1.30=2.88$m^2$ | | | |
| | RS | 1x3.30x1.30=4.29$m^2$ | | | |
| 758/76 | 6th Flight 1st PC | | | | |
| | FS | 1x2.80x1.30=3.61$m^2$ | 1x2.80(2.00+2.60/2x1.30 =8.37 $m^3$) | 1x2.80(2.20x1.30=8.00 $m^3$) | 0.37 $m^3$ ✓ |
| | Side | 1x2.20x1.30=2.86$m^2$ | | | |
| | 6th Flight 2nd PC | | | | |
| | Side | 1x3.20x1.30=4.16$m^2$ | 1x3.20(2.40+2.60/2x1.30 =10.40 $m^3$) | 1x3.20x1.00x1.30=4.16 $m^3$) | 6.24 $m^3$ ✓ |
| | | 1x1.00x1.30=1.30$m^2$ | | | |



41385

**Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O PSFS at (Chhabrogti) Kasumpati, Shimla-09 18 nos, Cat-III Flats (Block No. 6, 7, 19) Group III**

| Record MB/P.N | Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contract or |
|---|---|---|---|---|---|
| -/-7 | $5^{th}$ Flight $3^{rd}$ PC Side | $1x3.60x1.30=4.68m^2$<br>$1x2.00x1.30=2.60m^2$ | $1x3.60(2.20+2.45/2 x1.30=10.88 m^3)$ | $1x3.60x2.00x1.30=9.36 m^3$ | $1.52 m^3$ |
| 34/69 | $7^{th}$ Flight $1^{st}$ PC Side | $1x2.80x1.40=3.92m^2$<br>$1x(1.80+0.60/2x1.40=1.68m^2$ | $1x2.80(2.20+2.60/2 x1.40=9.41 m^3)$ | $1x2.30(1.80+0.60/2x1.40= 4.70 m^3)$ | $4.71 m^3$ |
| | -do- $2^{nd}$ PC Side | $1x3.20x1.40=4.48m^2$<br>$1x2.80x1.40=3.92m^2$ | $1x3.20(3.10+3.50/2 x1.34=14.78 m^3)$ | $1x3.62x2.80x1.40=12.54 m^3$ | $2.24 m^3$ |
| o- | $6^{th}$ Flight $3^{rd}$ PC Side | $1x3.60x1.30=4.68m^2$<br>$1x2.65x1.30=3.44m^2$ | $1x3.60(3.75+3.10/2 x1.30=16.03 m^3)$ | $1x3.60x2.65x1.30=12.40 m^3)$ | $3.63 m^3$ |
| | $6^{th}$ Flight $2^{nd}$ PC Side | $1x5.10x1.30=6.63m^2$<br>$1x2.00x1.30=5.20m^2$ | $1x5.10(3.40+2.90/2 x1.30=20.88 m^3)$ | $1x5.10x2.00x1.30=13.26 m^3)$ | $7.62 m^3$ |

## Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O

### PSFS at (Chhabrogti) Kasumpati, Shimla-09 18 nos, Cat-III Flats (Block No. 6, 7, 19) Group III

| Record MB/P. No. | Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contract or |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/71 | $7^{th}$ Flight $3^{rd}$ PC Side | 1x3.60x1.30=4.68$m^2$<br>1x3.40x1.30=4.42$m^2$ | 1x3.60(3.40+3.90/2x1.30=17.08 $m^3$) | 1x3.60x3.40x1.30=15.91 $m^3$ | 1.17 $m^3$ |
| - | $7^{th}$ Flight $4^{th}$ PC Side | 1x5.10x1.30=6.63$m^2$<br>2x2.90x1.30=7.54$m^2$ | 1x5.10(2.90+3.45/2x1.30=21.05 $m^3$) | 1x5.10x2.90x1.30=19.22 $m^3$) | 1.83 $m^3$ |
| 4/71 | $8^{th}$ Flight $1^{st}$ PC Side | 1x2.80x1.30=3.64$m^2$<br>1x2.85x1.30=3.70$m^2$ | 1x2.80(2.85+3.35/2x1.30=11.28 $m^3$) | 1x2.80x2.85x1.30=10.37 $m^3$ | 0.91 $m^3$ |
| - | $9^{th}$ Flight $1^{st}$ PC Side | 1x2.80x1.40=3.92$m^2$<br>1x2.90x1.40=4.06$m^2$ | 1x2.80(2.90+3.30/2x1.40=12.15 $m^3$) | 1x2.80x2.90x1.40=11.37 $m^3$ | 0.78 $m^3$ |
| - | $9^{th}$ Flight $2^{nd}$ PC Side | 1x3.20x1.40=4.48$m^2$<br>1x3.20x1.40=4.48$m^2$ | 1x3.20(3.50+3.70/2x1.40=16.17 $m^3$) | 1x3.20x3.20x1.40=14.34 $m^3$ | 1.79 $m^3$ |
| | $8^{th}$ Flight $3^{rd}$ PC Side | 1x3.60x1.30=4.68$m^2$<br>1x3.40x1.30=4.42$m^2$ | 1x3.60(3.40+3.30/2x1.30=16.84 $m^3$) | 1x3.60x3.40x1.30=15.91 $m^3$ | 0.93 $m^3$ |
| | $8^{th}$ Flight $4^{th}$ PC Side | 1x5.10x1.30=6.63$m^2$<br>2x2.90x1.30=7.54$m^2$ | 1x5.10(2.90+3.70/2x1.30=21.88 $m^3$) | 1x5.10x2.90x1.30=19.22 $m^3$) | 2.66 $m^3$ |

## Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O

FS at (Chhabrogti) Kasumpati, Shimla-09 18 nos, Cat-III Flats (Block No. 6, 7, 19) Group III

| ...ord ...P.N | Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contract or |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7th Flight 3rd PC Side | 1x3.60x1.30=4.68m² 1x2.10x1.30=2.73m² | 1x3.60(3.40+3.75/2x1.30=16.73 m³) | 1x3.60x3.10x1.30=9.83 m³ | 6.90 m³ |
| | 9th Flight 4th PC Side | 1x5.10x1.30=6.63m² 2x3.25x1.30=8.45m² | 1x5.10(3.25+3.55/2x1.30=22.54 m³) | 1x5.10x3.25x1.30=21.54 m³) | 1.00 m³ |
| 73 | 10th Flight 1st PC Side | 1x2.80x1.30=3.64m² 1x3.20x1.30=4.16m² | 1x2.80(3.20+3.40/2x1.30=12.01 m³) | 1x2.80x3.20x1.30=11.65 m³ | 0.36 m³ |
| | 10th Flight 2nd PC Side | 1x3.20x1.30=4.16m² 1x3.20x1.30=4.16m² | 1x3.20(3.50+3.80/2x1.30=15.18 m³) | 1x3.20x3.20x1.30=13.31 m³ | 1.87 m³ |
| | 107th Flight 4th PC Side | 1x3.60x1.30=4.68m² 1x3.30x1.30=4.28m² | 1x3.60(3.50+3.75/2x1.30=16.96 m³) | 1x3.60x3.30x1.30=1544 m³ | 1.52 m³ |
| | 10th Flight 4th PC Side | 1x5.10x1.30=6.63m² 2x2.70x1.30=7.02m² | 1x5.10(2.70+3.20/2x1.30=19.55 m³) | 1x5.10x2.70x1.30=17.90 m³) | 1.65 m³ |

**Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O**
**PSFS at (Chhabrogti) Kasumpati, Shimla-09 18 nos, Cat-III Flats (Block No. 6, 7, 19)**

**Group III**

| Record MB/P.No. | Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contract or |
|---|---|---|---|---|---|
| 784/74 | 11th Flight 3rd PC Side Side | 1x3.60x1.30=4.68m² 1x2.90x1.30=3.77m² 1x0.80x1.30=1.04m² | 1x3.60(3.80+3.95/2x1.30=18.13 m³) | 1x3.60(2.90+0.80/2 x1.30=8.65 m³) | 9.48 m³ |
| lo- | 11th Flight 4th PC Side | 1x5.10x1.30=6.63m² 1x2.70x1.30=3.51m² | 1x5.10(2.90+3.05/2x1.30=19.72 m³) | 1x2.80(3.70+0.90/2 x1.30=8.37 m³) | 6.28 m³ |
| 4/75 | 11th Flight 2nd PC Side Side | 1x3.20x1.30=4.16m² 1x3.80x1.30=4.94m² 1x0.50x1.30=0.65m² | 1x3.20(3.80+4.30/2x1.30=16.85 m³) | 1x3.20(3.80+0.50/2 x1.30=8.94 m³) | 7.91 m³ |
| /76 | 12th Flight 3rd PC Side | 1x3.60x1.30=4.68m² 1x(2.90+0.75/2x1.30=2.37m² | 1x3.60x3.50x1.30=16.38 m³) | 1x3.60(2.90+0.75/2 x1.30=8.54 m³) | 7.84 m³ |
| | 12th Flight 4th PC Side | 1x5.10x1.30=6.63m² 1x2.70x1.30=3.51m² | 1x5.10x3.10x1.30=20.55 m³ | 1x5.10x2.70x1.30=17.90 m³ | 2.65 m³ |
| | | | | | 104.75 m³ |

**(2) गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹9332/–का अधिक भुगतान :–**

अनुबन्ध की मद संख्या: 26 "प्रोवाडिंग वुड वर्क इन फ्रेमस ऑफ डोर, विंडोज" जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 563 पृ०सं० 73 और माप पुस्तिका संख्या 783 पृ०सं० 81 पर दर्ज की गई थी की पड़ताल करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण संविदाकार को उपरोक्त मद के लिए ₹9332/–का अधिक भुगतान किया गया, किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹9332/–की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

विवरणः—

| Record MB No. P.No. | Abstract of Cost MB/P.No | Measurement Taken | Measurement should be | Excess Measurement taken | Rate per $m^3$ | Total Excess payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563/73 | 783/3 | 4.368 $m^3$ | 4.266 $m^3$ | 0.102 $m^3$ | 64800.00 | 6610.00 |
| 783/81 | 805/12 | 0.084 $m^3$ | 0.042 $m^3$ | 0.042 $m^3$ | 64800.00 | 2722.00 |
| | | | **Total Excess payment** | | | **9332.00** |

**(३) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लाक की कार्य मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ₹51134/—की राशि का अधिक भुगतानः—**

अनुबंध की मद संख्या 36 P/F 40x3mm Flat Iron Hold Fast in CC Block 0.30mx0.10x0.15 in CC1:3:6 और मद संख्या 20 Brick Work using 2nd Class की पड़ताल करने पर पाया गया कि दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को ईंट की दीवार में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक साईज 0.30mx0.10mx0.15m बनाने का प्रावधान था तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। ब्रिक वर्क मद की जॉच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दीवारों में बनवाए गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाकों की मात्रा को ब्रिक वर्क की मात्रा में कम नहीं किया गया था जबकि CPWD Specification 2009 के चैप्टर 6.0 ब्रिक वर्क के नियम 6.2.8.3 (d) के अनुसार 0.10 मी0 के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए ब्रिक वर्क में से न तो भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया था और होल्ड फास्ट सीमेन्ट फास्ट सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक का भुगतान अलग से किया गया। इस प्रकार होल्ड फास्टों में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाकों की कार्य मात्रा का दोबरा भुगतान किया गया। एक बार ब्रेक वर्क के भुगतान के समय और दूसरी बार होल्ड फास्टों के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को ₹51134/—का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹51134/—के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

विवरणः—

| Abstract of Cost MB/P.No. | Record MB/P.No. | No. of Hold Fast paid | Qty of Brick work was paid twice | Rate of Brick work per cubic metre | Total Amount ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 805/10 | 759/95 | 3392 | 3392x0.30x0.10x0.15=15.264 $m^3$ | 3350 | 51134 |

8 ₹180439/— का संविदाकार को अधिक भुगतानः—

निर्माण कार्य बिल/वाऊचर संख्या 100 दिनांक 31.3.2012 की जॉच पड़ताल में निम्न आपत्तियॉं अपेक्षित है:—

कार्य का नामः— कन्स्टरक्शन आफॅ पुलिस बिल्डिंग अन्डर मोडरनाईजेशन स्कीम

उप शीर्षः— कन्स्ट्रक्शन आफॅ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एट पुलिस लाईन सोलन (हि0प्र0)

संविदाकार का नामः— श्री अरूण ठाकुर

अनुबन्ध संख्याः— 22 आफॅ 2010—2011

चलत बिल संख्याः—चतुर्थ चलत बिल

**(I) ₹163244/—का अनुबन्ध अनुसार संविदाकार द्वारा दिए गए 2% डिस्काऊंट/छूट को निर्माण बिल से न घटाने के कारण अधिक भुगतानः—**

उपरोक्त कार्य पॉचवे चलत बिल तक ₹8162207.46 का निष्पादन किया गया था।

(II) ₹17195/—की जारी किये गए पत्थरों अर्थात 49.62 $m^3$ की संविदाकार से वसूली न करनाः—

इन्डेट संख्या 2028 दिनांक 25.07.2011 द्वारा उक्त कार्य के निषादन हेतु मण्डल स्तर पर 49.62 घन मीटर पत्थर संविदाकार को जारी किये गए थे परन्तु पॉचवे चलत बिल तक जारी किये गए पत्थरों के विरूध किसी भी प्रकार की वसूली नही की गई थी जबकि द्वितीय चलत बिल तक पत्थरों से सम्बन्धित/डंगो आदि का कार्य का निष्पादन किया गया था। इस प्रकार संविदाकार से जारी किये गए पत्थरों 49.62 घन मीटर की वसूली न करना अपने—आप में एक गम्भीर अनियमिता है तथा संविदाकार को ₹17195/—का लाभ पहुंचाया गया था। अतः ₹17195/—की वसूली उचित स्त्रोत से करके इस विभाग को अवगत करवाया जाये।



413856

(III) 1821.79 $m^2$ मीटर कटिंग इन अर्थ वर्क की कार्य मात्रा में पत्थरों/सर्विसेवल मटिरीयल न दर्शाया जानाः–

उपरोक्त कार्य की अनुबन्ध की मद संख्या 1 द्वारा चतुर्थ चलत बिल तक 1821.79 $m^3$ मीटर कार्य मात्रा हेतु ₹364358/–का भुगतान किया गया था तथा उक्त कार्य मद को निष्पादन किये जाने के पश्चात भी पत्थरों की वसूली/प्राप्ति शून्य दर्शाई गई थी। 1821.79 घन मीटर खुदाई जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में किये जाने के बाद भी पत्थरों की मात्रा प्राप्त न होना अपने आप में ही विरोधाभाषी है। पूर्व में हिमुडा द्वारा समस्त अनुबन्धों में इस प्रकार की मद में 5% पत्थरों की प्राप्ति आवश्यक रूप से की जाती थी। अतः वर्तमान में लगभग सभी कार्यों में पत्थरों की कोई भी प्राप्ति नहीं दर्शाई/शून्य दर्शाई जा रही है। इस प्रकरण को आवश्यक छानबीन एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9 **₹161964 का संविदाकार को अधिक भुगतान :–**

निर्माण बिल/वाऊचर संख्या 102 आफ 03/2012 में निम्न विवरणानुसार संविदाकार को अधिक भुगतान किया गयाः–

कार्य का नामः– पारशियली सेल्फ फाईनेंसिंग स्कीम एट (छबरोटी) शिमला–9 उपशीर्ष कन्स्टरक्सन आफॅ 15 नं0 कैटगरी–I फ्लैटस (ब्लाक नं0 9, 10, 11 30 फ्लैटस ब्लाक नं0 12, 14, 15 व 16) 6 नं0 फ्लैटस कैटगरी–III

संविदाकार का नामः– मै0 ओम प्रकाश सुरेन्द्र मोहन

चलत बिलः– 14वॉं चलत बिल

माप पुस्तिका संख्याः– 829 आफॅ 2011

अनुबन्ध संख्याः– 18 आफॅ 2007–2008

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य बिल में निम्न टिप्पिणियॉं अपेक्षित हैः–

(I) ₹109560/—का एम0एस0 ब्लैक सीटस का गलत फैक्टर (Conversion factor) लगाने के फलस्वरूप सम्भावित अधिक भुगतान:—

अनुबन्ध की मद संख्या 59 जो वस्तुतः एम0एस0 ब्लैक सीटस ईवस बोर्ड फैसिया एण्ड सोफिटस हेतु चौदहवें चलत बिल तक 9125.87 किलोग्राम कार्य मात्रा ₹60/—प्रतिकिलो की दर से ₹547553.40/—का भुगतान संविदाकार को किया गया था। सम्बन्धित मद की रिकार्ड इन्दाज की मापन पुस्तिकों की जॉच—पड़ताल में पाया गया कि उक्त कार्य मात्रा का निष्पादन वर्ग मीटर में किया गया था तथा कन्वर्सन फैक्टर लगाकर किलोग्राम बनाया गया था। रिकार्ड मापन पुस्तिका व एवस्ट्रैक्ट पुस्तिका में लगाए गए एम0एम0 ब्लैक सीटस एवज बोर्ड इन फेसिया/सोफिटस में सीटस की मोटाई गेज/एम0एस0 में नहीं दर्शाई गई थी तथा किलोग्राम में कन्वर्सन हेतु 2 एम0एम0 मोटाई का कन्वर्सन फैक्टर लगाया गया था जो अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जबकि मण्डल/हिमुडा के सम्बन्धित अनुमान अनुसार एम0एस ब्लैक सीटस 1.66 एम0एस0 मोटाई की लगाई जानी प्रस्तावित/ऐपरूवड (Approved) थी। अतः नियम विवरणानुसार संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है:—

| कुल एम0एस0 सीट जो लगाई गई | एम0एम0 का कन्वेसन फैक्टर जो दिया गया | 1.66 एम0एम0 कन्वर्सन फैक्टर जो देय था | अधिक मात्रा | अधिक मात्रा कुल |
|---|---|---|---|---|
| 581.60 $m^2$ | 15.69 प्रति किलोग्राम वर्ग मी0 | 12.55 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग मीटर | 3.14 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग मीटर | 1826 कि0ग्रा0 |

उपरोक्त मद की अनुबन्धित दर ₹60/—थी इस प्रकार संविदाकार को 1826X60=₹109560/—का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹109560/—की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

(II) ₹52404/—राशि का ब्रिक वर्क में से होल्ड फास्ट ब्लॉक की मद न घटाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान:—

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित चलत बिल संख्या 14 का अवलोकन करने पर पाया गया कि दरवाजे व खिड़कियां लगाने के लिए आयरन होल्ड फास्ट लगाने हेतु सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक साईज 0.30mx0.10mx0.15m का प्रावधान था तथा इसका भुगतान अनुबन्ध की मद

संख्या 36 द्वारा अलग से किया गया था परन्तु उक्त कार्य मात्रा को ब्रिक वर्क से कम नहीं किया गया था अर्थात ब्रिक वर्क में उक्त कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया था। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार होल्ड फास्ट ब्लाक की मद घटाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹52404/–का अधिक भुगतान किया गया था।

| मापन पुस्तिका संख्या | होल्ड फास्ट की अनुबन्ध संख्या | ब्रिक वर्क में दोबरा भुगतान की गई कार्य मात्रा | ब्रिक वर्क की दर प्रति घन मीटर | राशि ₹ |
|---|---|---|---|---|
| 829 पेज–24 | 36 | 3528x.30mx.10mx.15=15.88 m³ | 3300 | 52404 |

अतः अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व अधिक भुगतान की गई राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**(III) 25898.07 घन मीटर कटिंग इन अर्थ वर्क की कार्य मात्रा में पत्थरों/सर्विसेबल मटिरीयल न दर्शाया जानाः–**

अनुबन्ध की मद संख्या 1 के निष्पादन अर्थात कटिंग इन अर्थ वर्क हेतु 25898.07 घन मीटर कार्य मात्रा के लिये ₹200/–प्रति घन मीटर की दर से ₹5179614/–का कुल भुगतान 14वें चलत बिल तक किया गया था। उक्त कार्य मद को निष्पादन किये जाने पर कोई भी पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति नहीं दर्शाई गई थी। 25898.07 घन मीटर की खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्रों/क्षेत्र में किये जाने के उपरान्त भी कोई भी पत्थरों की मात्रा प्राप्त न होना अपने आप में ही विरोधाभास है। पूर्व में हिमुडा द्वारा संविदाकारों से 5% पत्थर की प्राप्ति की जानी अनिवार्य थी परन्तु वर्तमान में किये जा रहे नोटिस ईन्वाईटिंग टेन्डर की शर्त को भी नहीं जोड़ा जा रहा है। एन0आई0टी0/अनुबन्ध में इस प्रकार की धारा/शर्त को न जोड़ा जाना तथा संविदाकार द्वारा किये जा रहे कार्य में पत्थरों की प्राप्ति शून्य दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक छानबीन एवम आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

10 ₹137361/—का संविदाकार को अधिक भुगतान :—

निम्न बिल/वाऊचर में संविदाकार को ₹137361/—का अधिक भुगतान किया गया है जिस सम्बन्ध में टिप्पणियॉं उप—पैरा I, II, III व IV में की गई है।

कार्य का नामः— कन्सट्रक्शन आफॅ पुलिस बिल्डिंग अन्डर मोडनाईजेशन स्कीम (उपशीर्ष कन्स्टरकशन आफॅ एडमनिस्ट्रिेशन ब्लाक एट पुलिस लाईन सोलन)

संविदाकार का नामः— श्री अरूण ठाकुर

चलत बिलः— द्वितीय चलत बिल

माप पुस्तिका संख्याः— 824/2011

अनुबन्ध संख्याः— 22 आफ 2010—2011

उपरोक्त निर्माण कार्य बिल के सन्दर्भ में निम्न टिप्पणियॉं अपेक्षित है।

**(I) ₹121182/—अनुबन्ध अनुसार संविदाकार द्वारा दिए गए 2% डिस्काऊट/छूट को निर्माण बिल से न घटाने के कारण अधिक भुगतानः—**

उपरोक्त कार्य हिमुडा द्वारा पत्र संख्या एच0वीएस(एसडी—II) A-348/2010-8062. 69 दिनांक 24.3.2011 को निर्माण कार्य हेतु श्री अरूण ठाकुर संविदाकार को आबंटित किया गया था। संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु भरी गई दरों पर 2% (दो प्रतिशत) की छूट/डिस्काऊंट दिया गया था तथा इसी आधार पर संविदाकार को कार्य आबंटित किया गया था तथा आंबटन पत्र में भी दो प्रतिशत छूट/डिस्काऊट का ब्यौरा दिया गया है परन्तु मण्डल—II में किसी भी स्तर पर चलत बिल संख्या तीन तक किये गए निर्माण कार्य की राशि पर डिस्काऊंट/छूट को नजर अन्दाज करके संविदाकार को भुगतान किया गया था तृतीय चलत बिल तक संविदाकार द्वारा ₹6059086.55/—का कार्य किया गया था जिस पर 2% डिस्काऊंट की दर से ₹121182/—राशि बनती थी। इस प्रकार हिमुडा मण्डल—II द्वारा संविदाकार को ₹121182/—का अधिक भुगतान किया गया था जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति



अतः अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाय जाये।

**(II) ₹8484/—का संविदाकार को गलत गणना करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान:—**

अनुबन्ध की मद संख्या 10"प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सीमेन्ट कन्करेट हेविंग स्ट्रेन्थ आफ एम—20 (उपशीर्ष सस्पेंड फ्लौर रफ, लैंडिंग, शैवल्ज आदि की पड़ताल में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 827 P-22 पर रिकार्ड इन्दाज वीम (Beams)A,B, $A_2$, $B_2$, $A_3$, $B_3$, हेतु गणना 34x.23x.40=3.12 घन मीटर की गई है जबकि वास्तविक गणना 3x4x.23x.40=10 घन मीटर आती है इस प्रकार संविदाकार को 2.02 घन मीटर मात्रा के लिए जिसकी अनुबन्धित दर ₹4200/—है के लिए ₹8484/—का अधिक भुगतान किया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

**(III) ₹5832/—का ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाये गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान:—**

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि इन बिलों में दरवाजे/खिड़कियों की फ्रेमों को लगाने के लिए कंक्रीट ब्लाक साईज 0.30mx0.10mx0.15m का प्रावधान था तथा अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 30 अनुसार तृतीय बिल तक 324 होल्ड फास्ट फिक्स लगाये गए थे परन्तु इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु बनाये गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक 0.30mx0.10mx0.15m प्रति होल्ड फास्ट हेतु जिनके लिए अलग मद बनाकर भुगतान किया गया था करवाये गए ब्रिक वर्क से घटाया नहीं गया था। अतः होल्ड फास्ट के प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाको की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया था इस प्रकार निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹5832/—का अधिक भुगतान किया गया था:—

| चलत बिल संख्या | माप पुस्तिका संख्या | ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की | दर | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| तृतीय चलत बिल | 824 पेज—47 | 324x0.30x0.10x0.15 =1.458 घन मीटर | 4000 | 5832 |

अतः अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(IV) ₹1863/–का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 61 (b) स्टील विद बेल्डिड इन बिल्ट अप सैकसन ट्रसिस (इन ग्रेटिंग, फेमड, गार्डस विद सी0सी0 1:2:4 के लिए रिकार्ड इन्टरी मापन पुस्तिका संख्या 827 पेज 56 में एमएस ऐंनाल 50x6m हेतु 115 मीटर कार्य मात्रा निष्पादित की गई थी तथा एमएस ऐन्गल 50x6m हेतु कन्वर्सन फैक्टर 4.80 लगाया गया था जबकि कन्वर्सन फैक्टर 4.50 प्रति मीटर लगाया जाना अपेक्षित था इस प्रकार निम्न कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था:–

| एम0एस0 ऐंन्गल | कार्यमात्रा | कन्वर्सन फैक्टर लगाया गया | जे लगाया जाना था | अधिक कार्य मात्रा | दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x6m | 115.00 | 4.80 कि0ग्रा0प्रतिमीटर | 4.50 कि0ग्रा0 प्रति मीटर | 115x.30 | 5400 प्रति क्विंटल |
| | | अधिक भुगतान | | ₹1863 | |

अतः इस प्रकार ₹1863/–का अधिक भुगतान किया गया था जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व उचित सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

11 **₹48008/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–**

₹48008/–निम्न निर्माण बिल में संविदाकार को निर्माण कार्य अधिक भुगतान किया गया है।

निर्माण कार्यः– कन्स्टरक्शन आफ हाऊसिंग कलौनी एट बसाल जिला सोलन (उप शीर्ष कन्स्ट्रक्सन आफ 16 नं0 कैटगरी I–8 Nos कैटगरी –II फ्लैटस विद गैराजिज)

संविदाकार का नामः– श्री अशोक मदान

चलत बिलः– चौथा चलत बिल

माप पुस्तिका संख्याः– 799



413856

अनुबन्ध संख्याः— 21 आफ 2010—2011

(1) ₹14347/—का फोर्म वर्क/सटरिंग की गलत गणना करने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः—

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 7 के उपशीर्ष d(डी) विमज कैन्टीलीवरज, गिरडल्ज व लिटेजल के अन्तर्गत माप पुस्तिका संख्या 798 पेज 24 में कुल कार्य मात्रा 196.25 वर्गमीटर रिकार्ड कर गणना की गई है। परन्तु उपरोक्त किये गए फोर्म वर्क में मद संख्या 17 (बी) के अन्तर्गत कम मात्रा में सी0सी0 डाली गई थी फलस्वरूप फोर्म वर्क की मात्रा का भी कम भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः फार्म वर्क का भुगतान निम्न गणना अनुसार किया जाना अपेक्षित था:—

| फार्म वर्क हेतु मापन पुस्तिका संख्या | मात्रा जो फार्म वर्क में सी0सी0 अनुसार देय थी |
|---|---|
| 798 पेज 24 अनुसार रिकार्ड की गई कुल गणना 196.65 वर्ग मीटर | 2x2x4.29(.40+.40)=13.72 |
| | 2x2x4.29(.40+.40)=4.51 |
| | 2x4x4.74(.40+.40)=30.33 |
| | 2x4x3.95(.40+.40)=25.28 |
| | 2x4x3.14(.40+.40)=20.09 |
| | 2x4x3.65(.40+.40)=23.36 |
| | 2x2x2.10(.40+.40)=6.72 |
| | 2x1x2.72 (.40+.40)=4.32 |
| कुल देय मात्रा | 128.33 |
| इस प्रकार अधिक कार्य मात्रा भुगतान | 196.65-D-8.33 |
| | =68.32 वर्ग मीटर |

उपरोक्त कार्य मात्रा की अनुबन्धित दर ₹210/—प्रति वर्ग मीटर है। अतः इस प्रकार 68.32x210 कुल ₹14347/—का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**₹33661/–का ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाये गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–**

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित 1 से 4 चलत बिलो के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x.15m सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक बनाया गया था। होल्ड फास्ट को लगाने के लिए अनुबन्ध की मद संख्या 38 द्वारा चौथे चलत बिल तक 1824 होल्ड फास्टों के लिए भुगतान किया जा चुका था परन्तु उक्त ब्लॉक की कार्य मात्रा को बिक वर्क की कार्य मात्रा से घटाया जाना अपेक्षित था परन्तु चतुर्थ चलत बिल होल्ड फास्ट ब्लॉक हेतु डाली गई सी0सी0 को बिक वर्क से घटाया नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹33661/–का अधिक भुगतान किया गया था:–

| चलत बिल | माप पुस्तिका सं0 | बिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान न की | दर | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ चलत बिल | 799 | $1824 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.15 = 8.21\ m^3$ | 4100 | 33661 |

इस प्रकार ₹33661/–का अधिक भुगतान संविदाकार को किा गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके, अनुपालान से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**11 (A)₹195700/–का कन्ट्रैक्टर लैजर में लेखाकंन न करना:–**

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच–पड़ताल में पाया गया कि विभिन्न तिथियों/समय–2 पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री जारी की गई थी परन्तु निम्न सामग्री के मुख्य को सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखांकित नहीं किया गया था यह गम्भीर अनियमितता है। निर्माण सामग्री का सम्बन्धित संविदाकार के खाते/लैजर में इन्दाज न करने के फलस्वरूप इसके एवज में किये जानी वाली वसूली में त्रुटि रहने की सम्भावना रहती है। अतः केन्ट्रैक्टर लैजर का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।



413857

| मापन पुस्तिका एवम सीमेन्ट स्टेटमैन्ट अनुसार जारी सीमेन्ट मात्रा | चतुर्थ बिल/31.03.2012 कन्ट्रैक्टर लैजर में दर्शाई गई मात्रा |
|---|---|
| 10700 बैगज | 9700 बैगज |

इस प्रकार कन्ट्रेक्टरलेजर में कम दर्शाई गई मात्रा 1000 बैगज है जिसका मूल्य 1000x(190+3%)₹195700/–बनता है। अतः मण्डल के दोनों अभिलेखों में जारी किये गए सीमेन्ट मात्रा में विरोधाभास है जिसका समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कन्ट्रेक्टर लैजर में समय–2 पर जारी इन्डेटस को तिथिवार इन्द्राज किया जाये ताकि किसी भी पकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

12 **वाउचर संख्या 91 दिनांक 31.03.2012 ₹1193404/–**

| | |
|---|---|
| निर्माण कार्य | C/O State Data Centre Building (I.T) |
| संविदाकार का नाम | M/S A.G. Construction |
| चलित बिल संख्या | 14th |
| अनुबन्ध संख्या | 10 ऑफ 2009–10 |

**गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को संविदाकार को ₹24419/–का अधिक भुगतानः–**

अनुबन्ध की मद संख्या 13 (ई) प्रोवाडिंग & लेंईग सी0सी0 एम0–20 के करवाए गए 1003.20 घन मी0 कार्य हेतु ₹3230/–पति घन मी0 की दर से ₹3240336/–का भुगतान संविदाकार को किया गया। किए गए भुगतान में 125.66 घन मी0 की मात्रा भी सम्मिलित थी, रिकार्ड प्रविष्टियो की जॉच करने पर पाया गया कि रिटेनिंग वाल (Pushta Near Towards Nallah) में लगाई गई सी0सी0 एम–20 जिसकी रिकार्ड पविष्टि माप पुस्तिका संख्या 803 पृ0सं0 88, 89 पर की गई थी, कि माप पुस्तिका संख्या 803 पृ0सं0 87, 88 पर करवाए गए फॉर्म वर्क के साथ मेल नहीं करता था। रिटनिंग वाल के लिए किए गए कार्य की कोई भी अनुमोदित ड्राइंग, क्रास सैक्शन, अनुमोदित अनुमान अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17/2012 दिनांक 16.10.2012 द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वांन्छित अभिलेख को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे किए गए कार्य की पुष्टि होती। किए गए फार्म वर्क के कार्य को ध्यान में रखते हुये सी0सी0 एम–20 की अत्यधिक

गणना कर ली गई प्रतीत होती है, जिसका विवरण निम्न वर्णित है जिसके अनुसार 7.56 घन मी0सी0सी0 एम–20 की मात्रा का भुगतान संविदाकार को अधिक कर दिया गया। किए गए कार्य की पुष्टि लगाई गई सी0सी0 एम–20 की रिटेनिंग वाल के अनुमोदित ड्राइंग, क्रास सैक्शन, वर्किंग ड्राइंग अनुमोदित अनुमान इत्यादि से करके सुचित किया जाए। अन्यथा 7.56 घन मी0 की अधिक ली गई मात्रा की ₹3230/–प्रति घन मी0 की दर से ₹24419/–की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**Detail of Excess Quantity Paid in Respect of C/O Data Centre at Mehli (I.T.)**

| Name of Item | From work paid as per MB | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) | P/L CC having strength M-20 (Agreement item No. 12(e)) on the basis on from work as mentioned in col.3 | Excess quantity of CC having strength M-20 paid to the contract or |
|---|---|---|---|---|
| Pusta Neara towards Nallah 3rd step | 1x2.50x1.30=3.25m² 1x1.05x1.30=1.36m² | 1x2.50(2.40+1.30/2x1.30= 6.01 m³) | 1x2.50x1.05x1.30=3.41 m³ | 2.60 m³ |
| 4th Step a toqards nallah side | 1x2.50x1.30=3.25m² 1x1.25x1.30=1.62m² | 1x2.50(4.30+1.25/2x1.30= 9.02 m³) | 1x2.50x1.25x1.30=4.06 m³ | 4.96 m³ |
| | | | | 7.56 m³ |

13 **₹1377559/– की राशि की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादित किया जाना:–**

निर्माण कार्यो से सम्बन्धि चलत बिलों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1377559/–की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना एवं दर अनुमोदन के बिना ही करवाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। नियमानुसार इस प्रकार की कार्य मदों का निष्पादन बिना स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन के नहीं किया जाना था। यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियां पूर्व में भी उठाई जाती रही है परन्तु मण्डल द्वारा सुधार हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदो का निष्पदन बिना स्वीकृति के तथा भुगतान दरों के अनुमोदन के बिना ही निरन्तर करवाया जा रहा था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक एवं उचित कार्यवाही



4138572

हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। अनियमित तरीके से उक्त किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

| क्र0सं0 | कार्य का नाम/अनुबन्ध सं0 | कार्य का संक्षिप्त नाम | बिल संख्या | मापन पुस्तिका /पृ0सं0 | किए गए कार्य की मात्रा | भुगतान दर | किया गया भुगतान (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी0एस0एफ0एस0 कुसुम्पटी (छबरोटी)/13 ऑफ 2007–08) (अनैक्सचर–ए) | 61 अतिरिक्त मद/प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0एम0–20 | बाइसवां चलत बिल | 834/80 | 57.85 घन मी0 | आंशिक दर ₹7000/ पूर्व दर | 404950 |
| 2 | –यथोपरि– (अनैक्सचर–बी) | 19 अतिरिक्त मद/प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग सी0सी0बास स्आप कॉक 15एम0एम0 डाया | –यथोपरि– | 834/88 | 116 न0 | आंशिक दर ₹900/ पूर्व दर | 104400 |
| 3 | कन्स्ट्रक्सन ऑफ वेलेफेयर ऑफिस बिल्डिंग एट सोलन/22 ऑफ 2010–2011 | 50 प्रतिरपादित मद 15एम0एम0 सीमेन्ट प्लास्टर इन फेयर साईड | चतुर्थ चलत बिल | | 2079.31$m^2$ | आंशिक दर ₹65/– | 135155 |
| 4 | –यथोपरि– | प्रोवाईडिंग लाईंग प्रिकास्ट प्लेन सीमेन्ट टाईल 25 एम0एम0 पिक 1:6 | –यथोपरि– | | 783.18$m^2$ | आंशिक दर ₹560/– | 438580.80 |
| 5 | –यथोपरि– | प्रोवाईडिंग लाईंग प्रिकास्ट प्लेन सीमेन्ट टाईल 25 एम0एम0 पिक 1:3 | –यथोपरि– | | 95.01$m^2$ | आंशिक दर ₹650/– | 61756.50 |
| 6 | –यथोपरि– | प्रोवाईडिंग लाईंग चेकरड टाईल 1:3 | –यथोपरि– | | 8.97$m^2$ | आंशिक दर ₹700/– | 6279 |
| 7 | कन्स्ट्रक्सन ऑफ वेलफेयर ऑफिस बिल्डिंग एट सोलन/22 ऑफ | बिरला व्हाईट पटटी प्लास्टर | चतुर्थ चलत बिल | | 2156.91$m^2$ | आंशिक दर No. | 86276.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2010–2011<br>–यथोपरि– | फिक्सिंग वाल फेदर प्रूफ –यथोपरि– पेन्ट | 200.23m² | आंशिक दर 140161<br>₹700 / – |
| | | | | 13775558.70 |
| | | | | Say 13775559 |

## 14 यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹39270/–का अनिमित भुगतान :–

यात्रा भत्ता दावे के वाऊचरों के अवलोकन पर पाया गया कि हिमुडा के सहायक अभियन्ताओं को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹39270/–का अनियमित भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या हिमुडा 5–439/2005, दिनांक 16.02.2005 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था, परन्तु निम्नलिखित मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया गया, जिसके कारण यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹39270/–की राशि का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका औचित्य अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये, अन्यथा वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाये।

| करने वाले का नाम | वा0सं0/ दिनांक | वाहन द्वारा तय दूरी जिसका किया गया | भुगतान की गई दर प्रति कि0मी0 | भुगतान की गई राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल सिंह चौहान | 2.3.2012 | 440कि0मी0 | 6 | 2640 | माह 9/2011 में सोलन से शिमला यात्रा की गई |
| यथोपरि– | 2 of 3/2012 | 910कि0मी0 | 6 | 5460 | माह 10/2011 में सोलन से शिमला, देहरादून इत्यादि स्थानों की यात्रा की गई |
| यथोपरि– | 125 of 18.6.2011 | 508कि0मी0<br>868कि0मी0 | 6 | 8256 | माह 01/2011 और 02/2011 के दौरान शिमला सोलन, कण्डाघाट इत्यादि स्थानों की यात्रा की गई |
| यथोपरि– | 51 of 6.7.2011 | 546कि0मी0<br>474कि0मी0 | 6 | 9636 | माह 3/2011, 4/2011, 5/201 के दौरान शिमला सोलन, कण्डाघ |



41274

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 586कि0मी0 | | | इत्यादि स्थानों की यात्रा की गई |
| संदीप सैन ई0ई0 | 58 of 10. 10.2011 | 701कि0मी0 | 6 | 4206 | माह 8/2011 के दौरान कण्डाघाट से शिमला इत्यादि स्थानों की यात्रा की गई |
| -यथोपरि- | 562 of 15.09. 2011 | 742कि0मी0 | 6 | 4452 | माह 7/2011 के दौरान मुघर, कण्डाघाट, शिमला इत्यादि स्थानो की यात्रा की गई |
| -यथोपरि- | 120 of 16.7.2011 | 770कि0मी0 | 6 | 4620 | माह 6/2011 के दौरान कण्डाघाट, सोलन, मुघर इत्यादि स्थानों की यात्रा की गई |
| | | | योग | 39270 | |

15 **₹3200/—का अनियमित भुगतानः—**

**वाऊचर संख्या 19 मास 3/2011 ₹36250/—**

उपरोक्त समायोजन (Adjustment) वाऊचर द्वारा ₹3200/— का भुगतान 400 बैग सीमेन्ट की दुलाई के लिये हिमुडा स्टोर संजौली से हिमुडा स्टोर कसुम्पटी के लिये किया गया किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था।

| क्र0सं0 | चलान नं0 | ट्रक नं0 | मैटिरीयल | मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1/27.09.2011 | 121 | एच0पी0—51बी—596 | Cement | 30 bag |
| 2/27.09.2011 | 120 | एच0पी0—07—3333 | —यथोपरि— | 70 bag |
| 3/27.09.2011 | 119 | एच0पी0—63—2663 | —यथोपरि— | 200 bags |
| 4/27.09.2011 | 118 | एच0पी0—63ए—0899 | —यथोपरि— | 100 bags |
| | कुल भुगतान | 400bagex8=3200 | | 400 bags |

सीमेन्ट स्टॉक बिना कार्ड संख्या 227, एम0बी0 नं0 699 पेज नं0 58 पर दिनांक 27.9.2011 को प्रविष्टि की गई थी। भुगतान से सम्बन्धित भडे का कोई बिल अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। जिससे यह सन्देह प्रतीत होता है कि वास्तव में सीमेन्ट बैग ढुलाई की गई थी? अत: इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन की जाये, अन्यथा भुगतान किये गये भाड़े की वसूली उचित माध्यम से की जाये।

16 **₹9190/— का अनुचित भुगतानः—**

हिमुडा निर्माण मण्डल के स्टॉक लेखा की पड़ताल करने पर पाया गया कि सब डिवीजनों में सीमेन्ट एक ही दिन प्राप्त किया दिखाया गया और उसी दिन या उसके अगले दिन एक मुश्त संविदाकारों को जारी किया दिखाया गया था। ऐसे सभी प्रकरणों का विवरण निम्न दिया गया है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि समस्त निर्माण स्थल भी स्थानीय सब डिवीजन के साथ ही लगते थे। प्राप्ति व जारी दिनांक में कोई विशेष अन्तर न होने तथा समस्त प्राप्ति को सीधे निर्माण कार्यो के प्रयोग हेतु संविदाकारों को एक मुश्त जारी कर दिये जाने को ध्यान में रखते हुये सामान की सीधे ही निर्माण कार्य स्थल में उतारा गया व संविदाकार को भी सीधे जारी कर दिया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये ₹9190/—के किये गये अनलोडिंग चार्जिज के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹9190/—की राशि को उचित माध्यम से वसूल कर जमा करवाया जाये।

| | | | | | Issue Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Goods Reseipt No.** | **Dt.** | **Qty Reseived** | **Unloading Charges** | **Indent No.** | **Dt** | **Qty issued** |
| 947 | 5-05-11 | 200 Bags | 500 | 1846 | 5-05-11 | 200 Bags |
| 951 | 24-05-11 | 300 Bags | 750 | 1849 | 24-05-11 | 300 Bags |
| 953 | 26-05-11 | 300 Bags | 750 | 1791 | 26-05-11 | 300 Bags |
| 954 | 27-05-11 | 300 Bags | 750 | 1450 | 27-05-11 | 300 Bags |
| 871 | 29-08-11 | 1200 Bags | 2400 | 894 | 29-08-11 | 200 Bags |
| | | | | 896 | 29-08-11 | 600 Bags |
| | | | | 2034 | 29-08-11 | 200 Bags |
| | | | | 2037 | 01-08-11 | 200 Bags |
| 848 | 3-05-11 | 200 Bags | 400 | 880 | 3-05-11 | 200 Bags |
| 849 | 3-05-11 | 200 Bags | 400 | 879 | 3-05-11 | 200 Bags |
| 850 | 5-05-11 | 300 Bags | 600 | 2001 | 5-05-11 | 200 Bags |
| 851 | 12-05-11 | 220Bags | 440 | 874 | 12-05-11 | 200 Bags |
| 854 | 25-05-11 | 1100 Bags | 2200 | 884 | 25-05-11 | 200 Bags |
| | | | | | 25-05-11 | 600 Bags |
| | | | **9190** | | | |

17 **₹1323/— का गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतानः—**

अनुबन्ध संख्याः— 13 आफॅ 2007—08

संविदाकार का नामः— मै0 एम0एल0 गुप्ता एण्ड एसोसिएटस

निर्माण कार्य का नामः— पी0एस0एफ0एस0 कसुम्पटी (छबरोटी)

चलित बिल संख्याः— बाईसवां चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य के बाइसवें चलत बिल की गणनाओं की जांच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 833 पृष्ठ 55 पर अनुबन्ध मद संख्या 7 प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:4:8 इन फाउंडेशन एण्ड पलिंथ आफ रिटेंनिंग/ब्रेस्ट बॉल ऑफ ब्लॉक नं0 23 के कार्य की मात्रा 11.34 घन मी0 (1X3.50X1.20X2.70) ली गई है जबकि वास्तविक कार्य मात्रा 10.71 घन मी0 (1x3.50x1.20x2.55) बनती थी। कटिंग वर्क की ऊचाई 2.70 मीटर से मद संख्या 8 में सी0सी0 1:6:12 में डाली गई 0.15 मीटर की मात्रा नहीं घटाई गई थी जिससे कुल 0.63 घन मी0 (11.34:10.71) की अधिक मात्रा ली गई। परिणामस्वरूप 0.63 घनमीटर का मद की दर ₹2100/—प्रति घन मीटर की दर से ₹1323/— (0.63X2100) का गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की राशि की वसूली संविदाकार से की जाए तथा इसकी अनुपालना से लेखा—परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

18 **₹929/—का संविदाकार को स्टील कार्य की गलत गणना के कारण अधिक भुगतानः—**

अनुबन्ध संख्याः— 7 आफॅ 2011—12

संविदाकार का नामः— मै0 एम0एल0 गुप्ता एण्ड एसोसिएटस

निर्माण कार्य का नामः— पी0एस0एफ0एस0 कसुम्पटी (छबरोटी)

चलित बिल संख्याः— द्वितीय चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की गणनाओं की जांच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 837 पृष्ठ 41 पर अनुबन्ध मद संख्या 15 टी0एम0टी0/टोर स्टील रीइन फोर्समैन्ट फॉर आर0सी0सी0 वर्क के कार्य की मात्रा 20 एम0एम0 के लिए 268.30 मीटर ली गई है जबकि वास्तविक कार्य मात्रा 260.30 मीटर बनती थी। अतः 8 मीटर (268.30—260.30) की अधिक मात्रा ली गई जोकि 19.76 कि0ग्रा0 (8Xकनवर्सन फैक्टर 2.47 मी0प्रति ग्राम) बनती है। परिणामस्वरूप 19.76 कि0ग्रा0 का मद की दर ₹47/—प्रति कि0ग्रा0 की दर से

₹929/–का संविदाकार को गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया। इस राशि की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई है। समस्त लघु आपत्तिगों का निपटारा स्थल पर ही किया गया।

20 **निष्कर्ष** :– लेखाओं में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

25 MAR 2013

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97–खण्ड–7, दिनांक, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को पतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

25 MAR 2013

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

(6) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(ग)(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(ग)(ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 17(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 17(ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 19 | अनिर्णीत |

(7) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(ड) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 22 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | पैरा 24(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 29 | अनिर्णीत |

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 22(क) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 22(ख) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 26 | अनिर्णीत |

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4.1 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 4.2 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4.3 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4.5 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 11 | अनिर्णीत |



| | | |
|---|---|---|
| 10 | पैरा 33 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 36 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 18 | अनिर्णीत |

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 23(ङ)(1) | अनिर्णीत |

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 (परिशिष्ट व) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 29 | अनिर्णीत |

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9(घ)(1 से 4) | अनिर्णीत |

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |



| | | |
|---|---|---|
| 10 | पैरा 33 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 36 | अनिर्णीत |

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

— 103 —

6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 24(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 24(बी) | अनिर्णीत |

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(7) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(8) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7(1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(2) | अनिर्णीत |

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 30 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 32(सी) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 32(डी) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 32(ई) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 32(एफ) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 32(जी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 32(एच) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 33 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 36 | अनिर्णीत |

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13(ट) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 12(ढ)(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 19(ड) | अनिर्णीत |

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 20(10)(ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 23(1)(क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 23(1)(ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 23(1)(ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 25(क) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 25(ख) | अनिर्णीत |

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 21 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 22 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 78 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 79 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 80 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 81 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |

it
16

)146

133 .

.6,36,048

Executive Engineer,
HIMUDA, Division No.II,
Kasumpti, Shimla-171009.

Sh. B.R. Raghuvanshi, IE.

परिशिष्ट "क-1"

-105-

Details of Mis.Advance account out standing as on 31.3.2012.

| Name of Firms/Deptt. & Contractor. | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Misc.Advance A/c of HP.State Civil Supply Corpn.Ltd. Shimla. | 0 | 780146 |
| HP. State Electronics Dev. Corpn. Ltd. Shimla | 12700 | 0 |
| HP.State Co.-Op.Markating & Consumer Fed. Ltd.Shimla-2 | 1000121 | 0 |
| Sh. Steel Authority of India Ltd. Shimla. | 143556 | 0 |
| Sh. Bhawani Dutt. | 249143 | 0 |
| Sh. Surinder Singh, Driver. | 7821 | 0 |
| M/s Rashtriya Ispat Nigam Ltd. | 2853 | 0 |
| | **1416194** | **780146** |

Net Rs.Dr.6,36,048/-

Executive Engineer,
HIMUDA, Division No.II,
Kasumpti, Shimla-171009.

Please again a date mark

परिशिष्ट -(ख) पैरा 4.1 में वर्णित.

— 166 —

## Details of Staff Advance account out standing as on 31.3.2012

| S.No. | Name of Officer/officials | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| | | 0 | 2 |
| 1 | Sh. Sandeep Sen. AE. | | |
| 2 | Sh. Surinder Singh, Driver. | 14975 | 0 |
| 3 | Sh. Rajinder Singh, Driver. | 694 | 0 |
| 4 | Sh. Babu Lal, Peon. | 0 | 895 |
| 5 | Sh. B.R. Raghuvanshi, JE. | 6334 | 0 |
| 6 | Sh. Bodh Raj, JE. | 15608 | 0 |
| 7 | Sh. Suresh Suman Driver. | 0 | 4384 |
| 8 | Sh. Pushap Raj, Clerk. | 0 | 185 |
| 9 | Sh. Leela Nand, W.I. | 20 | 0 |
| 10 | Sh. Jagdish Chand, JE. | 100 | 0 |
| 11 | Sh. Rajesh Thakur, JE. | 196 | 0 |
| 12 | Sh. Sunil Kumar, Driver. | 5000 | 0 |
| 13 | Smt. Anjori Kapoor, EE | 1 | 0 |
| | | **42928** | **5466** |

**Net Rs. Dr.37462/-**

Executive Engineer,
HP Housing & Urban Dev. Authority, IT,
Divn. No. II, Kasumpti Shimla-171009.

c) Addition & alt...

Total

— 107 —

POSITION OF DEPOSIT WORKS UPTO31.3.12 IN REPSECT OF DIVISION NO.II, SHIMLA-9.

| S.No. | Name of work. | A/A & E/S (Rs. in lacs) | Exp. Upto date on civil works upto 31.3.2012. | Deposit received. | Excess Exp. | Remarl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Municipal Corporation,Shimla works:** | | | | | |
| | a) C/o Shopping Complex at Subzi Mandi, Shimla. | 0 | 164559 | 700000 | -535441 | |
| | b) C/o Car Parking for Hotel Cecil at Chaura Maidan, Shimla. | 58.46 (Project cost) | 6080550 | 4600000 | 1480550 | |
| | c) C/o Labour Hostel/Car Parking at Lakkar Bazar, Shimla. | 48.92 (Project cost) | 4857806 | 4579680 | 278126 | |
| | d) C/o Slaughter House at Boileauganj. | 0 | 2292074 | 2298700 | -6626 | |
| | Total:- | | 13394989 | 12178380 | 1216609 | |
| 2 | **Youth & Sports department:** | | | | | |
| | a) Pavillion Block at Ice Skating Rink, Lakkar Bazar, Shimla. | 48.24 | 4087887 | 4074478 | 13409 | |
| | b) C/o Tennis Court at Nabha. | 5.06 | 0 | 292000 | -292000 | |
| | c) Addition & alteration in Squash Court Building at Richmound. | 68.25 | 4952682 | 2707300 | 2245382 | |
| | Total:- | 121.55 | 9040569 | 7073778 | 1966791 | |
| 6 | **Sub Jail at Solan:** | | | | | |
| | i) C/o Admn. block | 21.5 | 4428350 | 3500000 | 928350 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ii) C/o 1No. Type-III Qtrs., Kitchen Block and 3Nos. Barracks, Jail bldg. Solan. | | 212.02 | 24167096 | 21300000 | 2867096 |
| iii) C/o 1Nos. T-III & 4Nos. Type-II Qtrs. Jail Bldg. Solan. | | 30.00 | 2798308 | 3000000 | -201692 |
| iv) C/o Addl. Barrack for under trial i/c int. WS&SI and dev. of site and C/o enclosure wall & R/Wall Jail Bldg. Solan. | | 59.29 | 3126694 | 5929220 | -2802526 |
| v) C/o 24Nos. Beded waters barracks, 2Nos Addl. Type-II Qtrs and Electrical Pannel Room i/c int. WS&SI and dev. of site i.e. C/o R/Wall. | | 85.44 | 5098571 | 8544000 | -3445429 |
| | Total | 0 | 34520448 | 33729220 | 791228 |
| 10 **SC/ST Hostels:** | | | | | |
| i) Govt. College Sanjauli | | 16538900 | 15094511 | 16538900 | -1444389 |
| ii) Govt. College,Arki,Solan | | 16538900 | 17300504 | 16538900 | 761604 |
| iii) Govt.SSS,Rajgarh (Sirmour) | | 9305130 | 11305535 | 9305130 | 2000405 |
| | Total | 42382930 | 43700550 | 42382930 | 1317620 |
| 11 **Animal husbandry deptt.works:** | | | | | |
| a) C/o Vaternary Hospital at Bughar | | 31.01 | 3267109 | 3101222 | 165887 |
| | | 31.01 | 3267109 | 3101222 | 165887 |

10740809-00

Executive Engineer,
HIMUDA, Division No.II,
Kasumpti, Shimla-171009.

परिशिष्ट ....

-109-

Audit Req. No. 2/2012

Dated: 27/08/2012

1853
28/8/012

(4)

Supply of information regarding Secured Advance Granted & adjusted during the year 2011-12.

Please supply the information regarding Secured Advance granted & adjusted during the year 2011-12 in the format given below at the earliest.

| Name of Work | Secured Advance granted | | | Secured Advance recovered | | | Balance amount of Secured Advance to be recovered | Reasons for not recovering Secured Advance. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Month | MB No/Page No. | Amount | Month | MB No/Page No. | Amount | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| C/o 24 Nos. ...-III ... Nos. Cat-III Flats at Kasumpti Shimla-9 (III) | 4/2011 | | Rs. 6022790 | 10/2011<br>3/2012 | | 1420540=00<br>3454930=00 | Rs. 1548180=00 | Will be recovered when item will be executed/consumed |
| C/o State Data Centre at Mehali | 5/2011<br>3/2012 | | Rs. 363758=00<br>Rs. 411893=00 | 6/2011<br>8/2011<br>3/2012 | | 32670=00<br>126346=00<br>65945=00 | Rs. 550690=00 | Recovered during 6/12 & 9/2012 |
| C/o 24 Nos. ... barrack Jail Solan. | 10/2011 | | Rs. 2695930 | 1/2012 | | Rs. 2695930 | — | — |
| Dev. of ... C/o ... Boundary wall ... Social ... | — | — | — | 5/2011<br>7/2011<br>9/2011<br>12/2011<br>3/2012 | | 165580=00<br>99220=00<br>157910=00<br>227731=00<br>72770=00 | Rs. 445... | Will be recovered when relevant item will be consumed |
| Dev. of ... PSES at Kasumpti | — | — | — | — | — | — | Rs. 988932=00 | Recovered ... 8/12 ... 1694,440 during ... |

Divisional Accounts Officer
HIMUDA Divn. No. II
Kasumpti Shimla-9

Section Officer(A)
Camp at HIMUDA Div-II
Shimla-09

To
The Executive Engineer
HIMUDA Div-II